2023/149

श्रीमान्‌जी

निवेदन है कि श्रीमान्‌ जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान्‌ जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया फूलवंती पुत्री श्री पृथ्वीराज पत्नी देवीलाल निवासी खाटसजवार हाल 6 बीएलडी, रसूलासर तहसील व जिला–बीकानेर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, मूल रसीद, वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि मेरे पिता श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री बीरबल राम निवासी खाटसजवार, तहसील सादुलशहर व जिला– श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 09.02.2015 को करवाई गई थी, उनका स्वर्गवास दिनांक 11.11.2020 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान रामलाल पुत्र श्री साधूराम एवं देवीलाल पुत्र श्री प्रहलाद राय ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द सेवटा श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय